न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी — रेखा गूर्जर, आर ए एस
मुकदमा नम्बर 226 / 2023 वादपत्र

अनवान

01 श्री श्याम लाल पुत्र श्री रूपलाल माली, जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज
02 श्री मदन पिता रूपा माली जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज
03 श्री जगन्नाथ पिता रूपा माली जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज मृतक के कायम मुकाम
3/1 प्रेमलता पुत्री जगन्नाथ माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज.
3/2 कमला पत्नि जगन्नाथ माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज.
3/3 पकज पुत्र जगन्नाथ माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज.
3/4 किर्तिका पुत्री पवन माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज.
3/5 श्रृष्टी पुत्री पवन माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा राज.

——वादीगण

बनाम

01. श्री बंशीलाल पुत्र रूपा जी माली, जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा
02. श्रीमति नारायणी बाई पुत्री रूपा माली पत्नि हीरालाल माली निवासी करेडा हाल निवासी गडबोर चारभुजा तहसील व जिला राजसमंद राज0
03. सतीश पुत्री हीरालाल माली उम्र वयस्क निवासी बैमाली तहसील करेडा, जिला भीलवाडा
04. शांती लाल पुत्र उदयराम उम्र वयस्क निवासी कांकरोली (एमडी) जिला राजसमन्द राज0
05. राजकुमार पुत्र उदयराम उम्र वयस्क निवासी कांकरोली (एमडी) जिला राजसमन्द राज0
06. मुकेश पुत्र उदयराम उम्र वयस्क निवासी कांकरोली (एमडी) जिला राजसमन्द राज0
07. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. उपपंजीयन साहब तहसील करेडा जिला जिला भीलवाडा।

———प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा आदेशात्मक आज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89, 92 क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

स्थित :—
01. श्री कमलेश महेता
02. श्री मुकेश जैन

अधिवक्ता वादी
अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 01
दिनांक 22.12.2025

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी कि और एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क व 188 जस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस री किये गये, जिस पर प्रतिवादी ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये प्रतिवादी द्वारा इस बन्ध में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में वादीगण ने दो रारनामो के आधार पर अपने अधिकारो की स्थापना के लिये प्रस्तुत किया है, जो पूर्णतः हास्यप्रद प्रतीत रहा है, उपरोक्त इकरार नामे का कोई भी विधिक औचित्य स्पष्ट नही हो पाया है और इकरारनामा व तावेज के आधार पर अपने अधिकारो को न्यायालय में साबित करवाने के लिये क्षैत्राधिकार एक मात्र विल न्यायालय का है, इस मामले में यदि वादीगण को किसी प्रकार के इकरारनामे की पालना करवानी है वादीगण इसकी पालना में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है, न की जस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने का अधिकारी है, ऐसे मामले को राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम की धारा 207 के तहत विधि द्वारा वर्जित कर रखा है एवं वादपत्र में विक्रयपत्र दिनांक
06-03-1978 एवं दिनांक 07-03-1978 को शून्य एवं [illegible] घोषित किया जाकर निरस्त किया जाने बाबत
अनुतोष चाहा है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी कृषि आराजियात के हक व
अधिकारो के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद ही श्रीमान के क्षेत्राधिकार का है और [illegible] मामला [illegible] के
निरस्तीकरण के बाबत घोषणात्मक अनुतोष चाहा है, जबकि स्वत्व के हक व अधिकारो की [illegible] बाबत
कोई अनुतोष नही चाहने से यह वादपत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नही होने से उक्त वादपत्र क्षेत्राधिकारी के
अभाव में खारिज किये जाने योग्य है एवं जिस इकरार बाबत यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, वह इकरार
[illegible] 40 वर्ष पूर्व का इकरार है, जिसकी पालना बाबत यह वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो किसी भी कानून
वाद हेतुक उत्पन्न नही करता है, ऐसे मामले में न्यायालय को अपनी अन्तर निहित शक्तियो का प्रयोग
करते हुये सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अनावश्यक तुच्छ, तंग करने वाले वादपत्र को विशेष हर्जे खर्चे के
सहित खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। उपरोक्त वादपत्र यदि प्रक्रियाधीन रहकर अंतिम
स्तर पर निस्तारित होकर निर्णीत किया जाता है तो इससे प्रतिवादीगण को भयंकर आर्थिक एवं मानसिक
प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से वाद की लंबी न्यायिक प्रक्रियाओ में धकेला जा
रहा है। वादी द्वारा तथ्यो की जानकारी होने के बावजूद भी न्यायिक प्रक्रियाओ का दुरूपयोग कर यह
वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

बहस के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के प्रार्थनापत्र
तथ्यो को पुनः दोहराते हुये यह कथानित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य किसी भी
प्रकार से भी संयुक्त जायदाद नही होकर प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित जायदाद है, जिसको प्रतिवादी
संख्या 01 ने जरिये विक्रयपत्र क्रय की थी एवं आराजियात आवंटन भी की गई, तत्पश्चात बाद क्रय के
उपरोक्त जायदाद का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर खोला गया, तत्पश्चात से उक्त
आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज चली आ रही है तथा वादपत्र के मुखकर को देखे तो
वादीगण स्वयं स्वीकार कर रहे है कि उपरोक्त जायदाद का विक्रयपत्र दिनांक 07-03-1978 को क्रय किया
गया था, वक्त विक्रयपत्र वादीगण के पिता व वादीगण मौजुद थे, फिर भी वादीगण ने 46 वर्ष बाद यह
वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो स्वयंमेव ही वादीगण के वाद करने के अधिकारो का समापन प्रमाणित होता है,
उपरोक्त लम्बे अंतराल का वादीगण ने एक भी स्पष्टीकरण अपने वादपत्र में नही दिया है ऐसी स्थिति में
उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद हेतुक
उत्पन्न नही होता है जहाँ वादपत्र को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि वादपत्र पूर्णतः विधिक प्रावधानो
के विपरित होकर ऐसे वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 11 के उप नियम डी के तहत
प्रथम सुनवाई पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित हैं एवं वादपत्र वादीगण ने दो इकरारनामो के आधार
अपने अधिकारो की स्थापना के लिये प्रस्तुत किया है, जो पूर्णतः हास्यप्रद प्रतीत हो रहा है, उपरोक्त
अपने अधिकारो की कोई भी विधिक औचित्य स्पष्ट नही हो पाया है और इकरारनामा व दस्तावेज के आधार पर
इकरारनामे को कोई भी न्यायालय में साबित करवाने के लिये क्षेत्राधिकार एक मात्र सिविल न्यायालय का है, इस
के अधिकारो को न्यायालय में साबित करवाने के लिये किसी प्रकार के इकरारनामे की पालना करवानी है तो वादीगण इसकी पालना में
मामले में वादीगण को यह किसी प्रकार के इकरारनामे की पालना करवानी है, न की राजस्थान काश्तकार
निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है, ऐसे मालले को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा
विनियक के तहत प्रस्तुत करने का अधिकारी है,
के तहत विधि द्वारा वर्जित कर रखा है।

वादीगण के वादपत्र व बहस का समुचित विवेचन करने के उपरान्त न्यायालय इस मत पर आता है
उपरोक्त हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से मामला प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार कोई भी वाद
हेतुक उत्पन्न नही होता है, उपरोक्त मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा है कि प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य
किसी भी प्रकार से भी संयुक्त जायदाद नही होकर प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित जायदाद है, जिसको
प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिये विक्रयपत्र क्रय की थी एवं आराजियात आवंटन भी की गई, तत्पश्चात् बाद
क्रय के उपरोक्त जायदाद का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर खोला गया, तत्पश्चात् से उक्त
आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज चली आ रही है तथा वादपत्र के मुखकर को देखे तो
वादीगण स्वयं स्वीकार कर रहे है कि उपरोक्त जायदाद का विक्रयपत्र दिनांक 07-03-1978 को क्रय किया
गया था, वक्त विक्रयपत्र वादीगण के पिता व वादीगण मौजुद थे, फिर भी वादीगण ने 46 वर्ष बाद यह
वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो स्वयंमेव ही वादीगण के वाद करने के अधिकारो का समापन प्रमाणित होता है,
उपरोक्त लम्बे अंतराल का वादीगण ने एक भी स्पष्टीकरण .अपने वादपत्र में नही दिया है ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

ोक्त विक्रयपत्र के आधार पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद हेतुक न नहीं होता है तथा उपरोक्त इकरारनामे को कोई भी विधिक औचित्य स्पष्ट नहीं हो पाया है और रनामा व दस्तावेज के आधार पर अपने अधिकारों को न्यायालय में साबित करवाने के लिये क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय का है, इस मामले में यदि वादीगण को यह किसी प्रकार के इकरारनामे की ना करवानी है तो वादीगण इसकी पालना में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का वादपत्र प्रस्तुत करने का कारी है, न की राजस्थान काश्तकार अधिनियक के तहत प्रस्तुत करने का अधिकारी है, ऐसे मामले को स्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत विधि द्वारा वर्जित कर रखा है।

इस प्रकार से उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णरूपा से स्थापित हो चुका है कि

प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 161 जा0दी0 के तहत यदि वादी के त्र को देखने से ही यह स्पष्ट प्रतीत हो कि उपरोक्त वाद किसी तहत चलने लायक नहीं है, तो ऐसी ो में न्यायालय द्वारा अपनी अन्तर्निहित शक्तियो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वादपत्र ारिज किया जाना चाहिये अन्यथा न्यायिक प्रक्रियाओं को दुरूपयोग स्पष्ट प्रतीत होता है, उपरोक्त में इस प्रकार का कोई भी कारण वाद उत्पन्न नहीं होने से एवं क्षेत्राधिकार से परे होने से यह त्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत प्रतीत होता है।

::आदेश::

यह आदेश दिया जाता है कि वादी का उक्त वादपत्र प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 161 जा0दी0 के तहत ा किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली शुमार होकर बाद नम्बर कम हो दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेखा [illegible])
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी [redacted] कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)